



कार्यालयः प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची-834002, Phone-0651-2481909 (O) / 2480413 (F), e-mail-pccfjharkhand@yahoo.co.in

पत्रांकः ५B/Budget (NP)-D/A/04 (2015-16)

३४९।

दिनांकः २४.१०.१५

प्रेषकः बी०सी० निगम, भा०व०से०,
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झा०
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो।

विषयः वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में गैर-योजना व्यय (विस्तृत), मांग संख्या-19, मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी के अधीन "01- निदेशन एवं प्रशासन", उपशीर्ष में राशि के अतिरिक्त आवंटन के संबंध में।

प्रसंगः— वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक-29 / बी०टी०ई०-18/2014-15 / 300 / बजट राँची, दिनांक 30.03.2015 एवं वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक - 7 / यो०ब०-24/2015-2026 व०प०, राँची, दिनांक 17.04.2015 एवं आपका कार्यालय पत्रांक-2091 दिनांक 08.10.2015।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से राशि व्यय करने की प्राप्त अनुमति के के आलोक में "01-निदेशन एवं प्रशासन" उपशीर्ष के "13-देशीय यात्रा व्यय" इकाई 34,000/-रु० की अतिरिक्त आवंटन दी जाती है।

1. यह आवंटन वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार राँची के पत्रांक-29 / बी०टी०ई०-18/2014-15 / 300 / बजट राँची, दिनांक 30.03.2015 एवं वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक- 7 / यो०ब०-24/2015-2026 व०प०, राँची, दिनांक 17.04.2015 तथा विहार सरकार, वित्त विभागीय ज्ञाप संख्या-एम०-४-०५/९८ २५६१/वि० (2) दिनांक 17.04.1998 के आलोक में किया जाता है।
 2. रोकड़ प्रवाह (कैश फ्लो) के संबंध में वित्त विभागीय पत्रांक वित्त 4-23/2003 / 1800 दिनांक 15.07.2003 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
 3. आवंटन पत्र में अंकित विपत्र कोड के अनुसार ही लेखा संधारण किया जाय।
 4. सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए रथानांतरण अनुदान एवं पैकिंग भत्ता के भुगतान हेतु आवंटन की आवश्यकता नहीं है। इस संदर्भ में इस कार्यालय के ज्ञापांक 1922, दिनांक 28.04.2014 के आलोक में कार्रवाई की जाय।
- आवंटन आदेश पत्र संख्या- BBODA/01-15-16/68B की मूल प्रति अन्न-सह-संलग्न है।

अनु०-यथोः

विश्वासभाजन,

५०/-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक ३४९।

दिनांक २४.१०.१५

प्रतिलिपि— Envis Centre, Ranchi को आज ही विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

*Pradeep Kumar
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।*

O/C



आर्वटन आदिश

आरण्ड सेब

PCCF, JHARKHAND

चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में ध्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए भजट शीर्ष के समन्वे अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - BBODA/01-15-16/68B

दिनांक -

26-Oct

क्रमांक	विपर कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	N 19 240601001010213 2406 . यानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वार्षिकी 001 . निदेशन तथा प्रशासन 01 . निदेशन एवं प्रशासन 02 . यात्रा भी 13 . देशभरके विविध विदेशीय यात्रा भता	71458	BKRFOR012 KIRTI SINGH R.C.C.F. BOKARO REGION	34,000.00 

३०८

34,000.00

कल्पिक योगः

रुपये चौतीस हजार

172.16.20 Principal Chief Conservator of Forests

Run Date: 26/10/2015